

भारत सरकार  
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3522  
बुधवार, 02 अप्रैल, 2025/11 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तरार्थ

### प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना

3522: श्री मोकरिया रामभाई:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना को बढ़ाने, विशेष रूप से इसके माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले इंटरनशिप की संख्या और इसमें शामिल क्षेत्र के विस्तार के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं ;
- (ख) क्या मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को भाग लेने से रोकने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए कुछ उपायों को लागू करने की योजना बनाई है, ताकि प्रशिक्षुओं के बीच समावेशिता और विविधता सुनिश्चित हो सके; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

### उत्तर

सहकारिता मंत्री  
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): यह विषय कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित है। तदनुसार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय से जानकारी मांगी गई थी। प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार किए गए उत्तर नीचे संलग्न किया गया हैं।

बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना (पीएमआईएस) की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य पांच वर्ष में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 3 अक्टूबर, 2024 को योजना का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में युवाओं को 1.25 लाख इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है। यह योजना एक ऑनलाइन पोर्टल <https://pminternship.mca.gov.in> के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। पीएम इंटरनशिप योजना-पायलट प्रोजेक्ट के लिए भागीदार कंपनियों में पिछले 3 वर्षों में औसत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के आधार पर चुनी गई शीर्ष 500 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें विमानन और रक्षा, मोटर वाहन, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, रसायन उद्योग, तेल, गैस और ऊर्जा आदि सहित बड़ी संख्या में विविध क्षेत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उभरते क्षेत्रों में इंटरनशिप को बढ़ावा देने के लिए, योजना के दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि योजना में भाग लेने की इच्छुक कोई भी कंपनी/बैंक/वित्तीय संस्था कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से संपर्क कर सकती है, जो कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा।

पीएम इंटरनशिप योजना पोर्टल (पोर्टल) जो एंड-टू-एंड योजना कार्यान्वयन और इंटरनशिप जीवनचक्र प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से समावेशिता बढ़ाने

के लिए 12 विभिन्न भाषाओं में सुलभ है। पीएमआईएस पायलट प्रोजेक्ट के पहले राउंड में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 745 जिलों में भागीदार कंपनियों द्वारा 1.27 लाख से अधिक इंटरशिप अवसर प्रदान किए गए हैं।

पीएमआईएस-पायलट प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, देश के सभी हिस्सों से प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, उम्मीदवारों का एक पूल, पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक इंटरशिप अवसर के लिए चुना जाता है। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया का उद्देश्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के साथ-साथ, दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी संबंधित प्रक्रियाओं और मानदंड के अनुसार आगे चयन के लिए संबंधित कंपनी को भेजी गई शॉर्टलिस्ट में प्रतिनिधित्व प्रदान करके इंटरशिप कार्यक्रम में विविधता और सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय योजना के संवर्धन और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों और उद्योग संघों जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। मंत्रालय देश भर में लक्षित समूहों तक पहुंचने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रम भी कर रहा है।

\*\*\*\*\*